लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल - 462021
दूरभाष - 0755-2600115
www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ विशेष सेल / 2018-19 / 81 — भोपाल,दिनांक..30/11/2018

प्रति,

१. जिला शिक्षा अधिकारी
२. जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केंद्र – समस्त जिले
(अलीराजपुर.मंडला.डिंडोरी,अनूपपुर,झाबुआ,बडवानी जिले को छोड़कर)

विषय : मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम. 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे अध्यापक जो कि प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है / जिनका पद नाम अपडेट नहीं हुआ था / हाल ही में स्थानांतरित होने से उनकी संस्था अपडेट नहीं होने से अथवा लिपिकीय त्रुटि होने से आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी थी ऐसे सभी प्रकरणों को संकुल प्राचार्य के लॉग इन में वापिस (Back) लौटा दिया गया है इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

1. जिन अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका अब तक सत्यापित नहीं की गयी है उन्हें सत्यापित किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित संकुल प्राचार्य द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार की जाए |
2. जिन अध्यापकों की सेवा पुस्तिका पूर्व में सत्यापित की गयी थी उनमे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रविष्टि आदि की लिपिकीय त्रुटि होने से अमान्य / लंबित की श्रेणी में रखे गए सभी प्रकरणों को पुनः सत्यापित करने हेतु संकुल प्राचार्य के लॉग इन में उपलब्ध करा दिया गया है | ऐसे सभी प्रकरणों में जानकारियों की संशोधित प्रविष्टि करा कर सत्यापित किया जाए यदि पुनः इस प्रकार की त्रुटि की जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा |
3. ऐसे अध्यापक जिनका संविलियन संविदा शिक्षक से अध्यापक पद पर हो गया था और पोर्टल पर निर्धारित दिनांक तक अपडेट नहीं होने के कारण बंचित हो रहे थे उन्हें पोर्टल पर अपडेट करा दिया गया है | उनकी जानकारियों की प्रविष्टि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करा कर सत्यापित किया जाए |
4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अध्यापकों की जानकारी अपडेट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर “Deputation Management System” बनाया गया है जिसमे पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर गए अध्यापकों की जानकारी पंजीकृत की जाए और भविष्य में किसी भी विभाग / संस्था में कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो पोर्टल के माध्यम से ही प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये जाएँ |
5. ऐसे अध्यापक जिनका अंतर्निकाय संविलियन अन्य संस्था / जिले में हो गया था उन्हें भी उनके वर्तमान माह में जनरेट हुए वेतन के आधार पर संस्था का नाम अपडेट कर दिया गया है अतः पात्रता निर्धारित करते समय चेक कर लिया जाए तदनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाए |
6. उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कार्यवाही करते हुए जिला स्तरीय पात्रता समिति की बैठक में पात्र / अपात्र सूची तैयार कर पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रविष्टि कराई जाएँ |

अतः विकल्प प्रस्तुत करने वाले शत प्रतिशत अध्यापकों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्रता निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए | उपरोक्त समस्त कार्यवाही दिनांक ११ दिसंबर के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें |

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ विशेष सेल /2018 / 82 भोपाल दिनांक 30/11/2018

प्रतिलिपिः-

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ
- संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC विंध्यांचल भवन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- श्री सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश।
- संकुल प्राचार्य समस्त

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.